



याचिका सं. 63/टीएल/2025

दिनांक: 21.03.2025

**विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस**

पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-8, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016 द्वारा निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (जिसके इसके बाद 'पारेषण योजना/परियोजना' कहा गया है) पर "राजस्थान आरईजेड पीएच-IV (भाग-3: 6 जीडब्ल्यू) [बीकानेर कॉम्प्लेक्स]: भाग 1 से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली" स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम 2003 (अधिनियम) की धारा 14 और धारा 15 के अधीन आवेदन किया गया है परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञप्ति की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्रम सं.	पारेषण घटक का नाम	अनुसूचित सीओडी
1.	बीकानेर के निकट समुचित स्थान पर 2x240 एमवीएआर (765 केवी) तथा 2x125 एमवीएआर (420 केवी) बस रिएक्टरों के साथ 6x1500 एमवीए, 765/400 केवी तथा 6x500 एमवीए, 400/220 केवी बीकानेर-IV पूलिंग स्टेशन की स्थापना बीकानेर-IV पीएस-एआईएस • 765/400 केवी 1500 एमवीए आईसीटी-6 नंबर (एक स्पेयर यूनिट सहित 19x500 एमवीए) • 400/220 केवी 500 एमवीए आईसीटी-6 नंबर • 765 केवी लाइन बे-2 नंबर (सिवानी एस/एस के साथ 765 केवी अंतरसंयोजन के लिए) • 400 केवी लाइन बे-4 नंबर (बीकानेर II पीएस-बीकानेर III पीएस के दोनों सीकेटी के लीला के लिए) • 765 केवी आईसीटी बे-6 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे-12 नंबर • 220 केवी आईसीटी बे-6 नंबर • 240 एमवीएआर बस रिएक्टर-2 नंबर (7x80 एमवीएआर, एक अतिरिक्त यूनिट सहित) • 765 केवी बस रिएक्टर बे-2 एक अतिरिक्त यूनिट सहित • 125 एमवीएआर बस रिएक्टर=2 एक अतिरिक्त यूनिट सहित • 400 केवी बस रिएक्टर बे-2 एक अतिरिक्त यूनिट सहित • 220 केवी लाइन बे: 6 एक अतिरिक्त यूनिट सहित(आरई संयोजकता के लिए) • 400 केवी लाइन बे (आरई संयोजकता के लिए)-3 नंबर • 400 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट • 220 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट • 220 केवी बीसी (2 नंबर) बे और 220 केवी टीबीसी (2 नंबर) बे • 400 केवी बे: 2 नंबर (स्टेटकॉम के लिए) बीकानेर-IV पीएस में भावी प्राक्धान: निम्नलिखित के लिए स्थान स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 765 केवी लाइन बे-8 नंबर • बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 1 नंबर • स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ 400 केवी लाइन बे-4 नंबर • 400 केवी लाइन बे-2 नंबर • 400/220 केवी आईसीटी बे-4 नंबर • बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 1 नंबर • 400 केवी सेक्शनलाइजर बे: 1 सेट • आरई अनुप्रयोगों की संयोजकता के लिए 220 केवी लाइन बे-5 नंबर • 220 केवी सेक्शनलाइजर बे: 2 सेट • 220 केवी बीसी (2 नंबर) बे और 220 केवी टीबीसी (2 नंबर) बे	एसपीवी अंतरण से 24 मास
2.	बीकानेर-IV पीएस पर एमएससी (4x125 एमवीएआर) और एमएसआर (2x125 एमवीएआर) के साथ स्टेटकॉम (2x±300 एमवीएआर) • एमएससी (4x125 एमवीएआर) और एमएसआर (2x125 एमवीएआर) के साथ स्टेटकॉम (2x±300 एमवीएआर)	
3.	बीकानेर-IV पीएस पर बीकानेर II पीएस-बीकानेर III पीएस (क्वाड) डायरेक्ट 400 केवी लाइन के दोनों सीकेटी का लीला	
4.	प्रत्येक छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ बीकानेर-IV पीएस - सिवानी 765 केवी डी/सी लाइन • बीकानेर-IV पीएस छोर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर • सिवानी एस/एस छोर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर • बीकानेर-IV पीएस छोर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2 नंबर • सिवानी एस/एस छोर पर 765 केवी, 240 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग उपकरण -2 नंबर	
5.	सिवानी - फतेहाबाद (पीजी) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड)	
6.	सिवानी एस/एस छोर पर प्रत्येक सर्किट के लिए 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर के साथ सिवानी - पातरां (इंडी ग्रिड) 400 केवी डी/सी लाइन (क्वाड) • सिवानी एस/एस छोर पर 420 केवी, 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर -2 नंबर • सिवानी एस/एस छोर पर 420 केवी, 80 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के लिए स्विचिंग इक्विपमेंट-2 नंबर • 400 केवी जीआईएस डक्ट: पातरां एस/एस पर 700 मीटर	
7.	फतेहाबाद (पीजी) और पातरां (इंडी ग्रिड) जीआईएस एस/एस प्रत्येक पर 2 नंबर 400 केवी लाइन बे • फतेहाबाद (पीजी) एस/एस पर 400 केवी लाइन बे -2 नंबर • पातरां (इंडी ग्रिड) एस/एस पर 400 केवी जीआईएस लाइन बे -2 नंबर	
8.	सिवानी एस/एस पर 2 नंबर 765 केवी लाइन बे • सिवानी एस/एस पर 765 केवी लाइन बे -2 नंबर	
9.	सिवानी एस/एस पर 4 नंबर 400 केवी लाइन बे • सिवानी एस/एस पर 400 केवी लीन बे - (400 केवी अंतरसंयोजन के लिए)	

**नोट:**

- पावरग्रिड, फतेहाबाद (पीजी) पर 400 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा। इंडीग्रिड, पातरां (इंडी ग्रिड) एस/एस पर 400 केवी लाइन बे (जीआईएस) के 2 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा।
- सिवानी एस/एस का विकासकर्ता, सिवानी एस/एस पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर और 400 केवी लाइन बे के 4 नंबर के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगा।
- सेंट्रल ट्रांसमिशन-मूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 11.12.2024 के अपने पत्र के माध्यम से प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 63/टीएल/2025 में दिनांक 22.3.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
- पावरग्रिड बीकानेर IV ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट [www.powergrid.in/subsidiaries](http://www.powergrid.in/subsidiaries) पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा इसका निरीक्षण किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 11.4.2025 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 15.4.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-  
(हरप्रीत सिंह प्रुथी)